<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–854 / 2026
महिला थाना कांड सं0–78 / 2025
धारा–87, 64, 126(2), 115(2), 351(2), 352,3(5), 318(4) B.N.S. Act.

Web Copy not Official

04.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अरूण कुमार की ओर से दर्ज मुकदमा महिला थाना कांड सं0–78 / 2025 मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद मे उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद की सूचिका शिम्पी कुमारी द्वारा थानप्रभारी महिला थाना को लिखित आवेदन इस आशय का दिया गया कि " शालिनी कुमारी एक ही विद्यालय मे नियुक्त हुयी थी और दोनो का रूम बगल मे ही था। शालिनी कुमारी का भाई आर्यन राज अपने बहन के साथ कभी कभी उसके रूम पर भी आता था। जिसके कारण आर्यन राज मुझसे बातचीत करने लगा और साथ मे फोटो खीच लिया, विडियो कॉल करने लगा, शारीरिक संबंध बनाया और चुपके से विडियो बना लिया उसके बाद बलैक्मेल करके शारीरिक संबंध बनाया और 12.03.2025 को गर्भपात भी करवाया। मै बहुत परेशान होकर अपने परिजन को बतायी तब मेरे परिजन आर्यन राज के घर पर गये तो आर्यन राज के पुरे परिवार वाले गाली गलौज और मारपीट किए उसके बाद आर्यन राज मेरे साथ और ज्यादा गाली गलौज करने लगा। आर्यन राज कभी कभी स्कुल मे आकर भी गाली गलौज करता है तथा लापता करने की धमकी देता है। आर्यन राज, शालिनी कुमारी, संगीता देवी, अरूण कुमार ये सभी लोग मेरे परिवार को बर्बाद करने का साजिश रचते है।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी

के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का एक पूर्व अपराधिक इतिहास है। सूचिका द्वारा लगाया गया सभी आरोप मनगढ़त, झुठा एवं आधारहीन है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के उपर केवल गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप सह अभियुक्त आर्यन राज के विरूद्ध है जो कि इस मामले मे आवेदक नही है। अतः आवेदक अभियुक्त अरूण कुमार को जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा आवेदक की ओर से 10,000 (दस हजार) रूपये के समान दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	04-04-2026
Date of reserving Judgment/Order	04-04-2026
Uploading Date	07-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web Copy not Official

Web Copy not Official